बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (नालन्दा) 02–93/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री आमोद कुमार, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, एकंगरसराय, नालन्दा–सह–प्रोन्नत राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–1013, दिनांक–20.02.2026 द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमोदित आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें बिना जाँच पड़ताल किये जान–बूझकर एक बार दाखिल खारिज वाद सं0–918/2022–23 एवं दाखिल खारिज वाद सं0–86/2022–23 को अस्वीकृत हो जाने के उपरान्त बिना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश के पुनः उसी दस्तावेज पर क्रमशः दाखिल–खारिज वाद सं0–8030/2022–23 एवं वाद सं0–318/2022–23 की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त गठित आरोपों के लिए अपर समाहर्त्ता, नालन्दा के ज्ञापांक–1342 दिनांक–20.02.2024 से श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–11.03.2024 से अपना स्पष्टीकरण अंचल अधिकारी, एकंगरसराय, नालन्दा को समर्पित किया जिसे अंचलाधिकारी के पत्रांक–892 दिनांक–02.04.2024 से अपर समाहर्त्ता, नालन्दा को प्रेषित किया गया।

3. प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें अपर समाहर्त्ता, नालन्दा के आदेश ज्ञापांक–4552 दिनांक–22.07.2024 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजगीर को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, एकंगरसराय को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–1013 दिनांक–20.02.20263 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र एवं संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित अंकित किया गया।

5. प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–904(15) दिनांक–23.06.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–03.07.2026 से अपना अभ्यावेदन/निवेदन विभाग में समर्पित किया गया।

6. प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर वाद के स्वीकृत किए जाने के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी को सारे अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों/ तथ्यों की छान–बीन एवं जाँच पड़ताल करते हुए प्रश्नगत दाखिल–खारिज वाद की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जानी चाहिए थी। साथ ही एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील हेतु निदेशित किया जाना चाहिए था, न कि दाखिल–खारिज वाद को स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की चाहिए थी।

साथ ही यह विचारणीय है कि एक ही मामले में दो डीड कैसे दिया जा सकता है? दाखिल खारिज आवेदन के साथ डीड की प्रति संलग्न की गयी होगी, क्या उससे Crosscheck नहीं किया गया? इस स्तर पर भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा चूक की गई है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलिता, उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य उक्त कृत्य किया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं है।

7. आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत "05 (पाँच) वर्ष तक पेंशन राशि का 10(दस) प्रतिशत कटौती का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आमोद कुमार, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, एकंगरसराय, नालन्दा–सह–प्रोन्नत उपरान्त राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2024) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत **"05 (पाँच) वर्ष तक पेंशन राशि का 10(दस) प्रतिशत कटौती का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–93/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

निबंधित ई–मेल

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, नालन्दा एवं पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियाँ एवं नालन्दा/श्री आमोद कुमार, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त **(पता–मालपुरा भवन, रोड नं0–16, राजीव नगर, पो0–केसरी नगर, थाना–राजीव नगर, जिला–पटना, पिन–800024)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–93/2026–1807 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–06/10/26

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री आमोद कुमार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

05/X/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।